(143)

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१२ निगरानी — R 4442-II/12

श्री ... द्वारा आज दि. 31-12-12 को प्रस्तुत
31-12-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

गुलैया पुत्र बलदेव प्रजापति(कुम्हार),
निवासी ग्राम- बम्होरी खुर्द, तहसील- ~~बिजावर~~ विजावर
जिला-छतरपुर-मध्यप्रदेश ।

------- प्रार्थी

विरुध्द

१- मध्यप्रदेश शासन,

२- प्रेमबाई पुत्री गढ़ैया (अहिरवार),
निवासिन ग्राम बम्होरी खुर्द, तहसील विजावर,
जिला छतरपुर-मध्यप्रदेश ।

३- रामदास पुत्र प्यारेलाल प्रजापति,
निवासी ग्राम बम्होरी खुर्द तहसील-विजावर,
जिला छतरपुर-मध्यप्रदेश ।

39192492

------ प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुध्द आदेश तहसीलदार महोदय, विजावर, जिला छतरपुर, दिनांकी १२-७-१९९९ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ प्र०क्र० १५।९८-९९ अ-३ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों एवम् कानूनी स्थिति पर समुचित विचार नहीं किया ।

३- यह कि, प्रकरण में विधिवत् जांच नहीं की गई है और न तो प्रकरण में उदघोषणा का प्रकाशन ही कराया गया है, और न ही

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4442—दो / 2012 जिला छतरपुर

गुलैयां विरूद्ध म0प्र0 शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
~~19~~ 20—2—2019	आवेदक की ओर से श्री एस0के0अवस्थी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार विजावर जिला छतरपुर के नक्शा तरमीम प्रकरण कमांक 15 / अ—3 / 1998—99 में पारित आदेश दिनांक 12—7—1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15—4—2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 20/02/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	